भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2476
जिसका उत्तर सोमवार, 4 अगस्त, 2025/13 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

गरीब लोगों का वित्तीय समावेशन

2476. डॉ. एम.पी. अब्दुस्समद समदानी:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बैंक खाते खोलकर प्राप्त वित्तीय समावेशन कई गरीब परिवारों के लिए ऋण समावेशन में परिवर्तित नहीं हुआ है;
(ख) क्या वैकल्पिक मानदंडों या डेटा स्रोतों का उपयोग करके ऐसे खाताधारकों की ऋण-पात्रता का आकलन करने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने बैंक खाते वाले निम्न-आय वाले परिवारों द्वारा साहूकारों, चिट फंडों और अनौपचारिक स्रोतों से उधार लेने के कारणों का मूल्यांकन किया है;
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) वित्तीय समावेशन को राशि जमा तक पहुंच से आगे बढ़ाकर सार्थक ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ): सरकार वित्तीय समावेशन को विस्तार देने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि बुनियादी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच के परिणामस्वरूप औपचारिक वित्तीय प्रणाली में ऋण तक पहुंच सहित सार्थक भागीदारी हो सके। अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) की शुरुआत ने बुनियादी बचत बैंक जमा खातों को खोलने की सुविधा प्रदान करके बैंकिंग सुविधा रहित लोगों तक बैंकिंग की पहुंच को एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जिसमें रुपे डेबिट कार्ड और एक अंतर्निहित ओवरड्राफ्ट सुविधा जैसी संबद्ध विशेषताएं शामिल हैं। आज की तारीख तक, पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 55.90 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं।

सरकार ने, *अन्य बातों के साथ-साथ*, यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं ताकि वित्तरहित लोगों के वित्तपोषण पर विशेष ध्यान देते हुए ऋण समावेशन जमा समावेशन का पूरक हो सके :

(i) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का शुभारंभ किया गया था और यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 20 लाख रुपये तक का संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करती है, जिससे स्वरोजगार और आय सृजन को सक्षम किया जा सकता है। इसकी स्थापना के बाद से, इस योजना के अंतर्गत 35.13 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि के 53.85 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं।
(ii) अ.जा. /अ.ज.जा. और महिला उद्यमियों, स्ट्रीट वेंडरों, कारीगरों और अन्य सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण प्राप्त करने संबंधी सुगमता का विस्तार करने के लिए स्टैंड-अप इंडिया (एसयूपीआई), पीएम स्ट्रीट वेंडर हेतु आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), पीएम विश्वकर्मा और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) जैसी समर्पित योजनाएं लागू की गई हैं।
(iii) ऋण गारंटी तंत्र: इसमें सूक्ष्म संस्थानों के लिये ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिये ऋण गारंटी फंड निधि (सीजीटीएमएसई) शामिल हैं, जो उधारदाताओं के लिये ऋण जोखिम को कम करते हैं और अल्प-सेवित क्षेत्रों को औपचारिक ऋण देने को प्रोत्साहित करते हैं।

पारंपरिक ऋण इतिहास की कमी वाले व्यक्तियों के लिए ऋण मूल्यांकन ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार प्रौद्योगिकी और वैकल्पिक डेटा स्रोतों का लाभ उठा रही है:

(i) किसानों और सीमांत समुदायों सहित स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) उधारकर्ताओं और ग्रामीण आबादी के ऋण मूल्यांकन में सहायता करने के लिए ग्रामीण ऋण स्कोर की घोषणा की गई है। इस पहल से ऋण निर्णयों की गुणवत्ता और वस्तुनिष्ठता में वृद्धि होने और ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक ऋण तक बेहतर पहुंच की सुविधा प्राप्त होने की उम्मीद है।
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा एमएसएमई नवीन डिजिटल ऋण मूल्यांकन ढांचा तीव्र और अधिक सटीक ऋण मूल्यांकन को सक्षम करने के लिए आयकर रिटर्न, जीएसटी फाइलिंग और उपयोगिता भुगतान से एकीकृत डेटा का उपयोग करता है।
(iii) जन समर्थ पोर्टल, एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे ऋण की अपेक्षा रखने वाले लोगों को पात्र सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी, प्रक्रिया में समय कम लगेगा और आउटरीच में सुधार होगा।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) यह सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) लक्ष्यों को अधिदेशित करता है कि कृषि, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों, कमजोर वर्गों तथा अर्थव्यवस्था के अल्प-सेवित सेक्टर्स जैसे क्षेत्रों को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इन संयुक्त प्रयासों के माध्यम से सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय समावेशन बैंक खातों तक पहुंच मात्र से ऊपर उठकर हो ताकि समय पर और वहनीय ऋण तक समान पहुंच हो सके और इस प्रकार समावेशी विकास को बढ़ावा मिल सके।

******